राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा सडक पुलिया/2019-20/ 29257 दिनांक 28

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : संपर्क सड़क निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : इस विभाग का पत्रांक 25186-93 दिनांक 24.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित संपर्क सड़क निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम सं. 5 में वर्णित राशि 20.00 लाख रू. की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी -ग्राम पंचायत

(राशि लाख रू. मे)

क.स.	कार्य का नाम व स्थान	पंस.	तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
			क्र/दि	राशि	
1	2	3	4	5	6
1	सी.सी. सडक निर्माण होमला/मानजी के खेत से रकमा/ उदिया के घर तक ग्राम सुरापाडा ग्रा.पं. निचला घण्टाला	बासवाडा	1/26.06.2019	10.00	16.59
	सी.सी. सडक निर्माण लक्ष्मण/कालू के खेत से शंकर/ हीराजी के खेत तक ग्राम बंजारियापाडा ग्रा.पं. निचला घण्टाला	बासवाडा	2/26.06.2019	10.00	
	योग			20.00	16.59

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 20.00 लाख के विरूद्व विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या-64/ 2018-19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रू. 1001.69 लाख में से उपलब्ध राशि 10.21 लाख एवं अनटाईड पूंजीगत मद अन्तर्गत उपलब्ध राशि 6.38 लाख कुल 16.59 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को देय होगी।

कृपया कार्यकारी एजेन्सी से निम्नांकित शर्तो के अधीन तकनीकी रिपोर्ट मय ड्राईंग, विस्तृत एस्टीमेट व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर भिजवाने का श्रम करावे-

शर्ते -

1. **यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।**
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
4. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।**
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये एवं स्वीकृति कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।

6. परियोजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 20728—80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे। ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेंगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय

(अंजली राजोरिया) IAS
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा सडक पुलिया/2019—20/29257 दिनांक 24-7-2019
प्रतिलिपी :—सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ठ सहायक, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या—64/ 2018—19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि रू. 1001.69 लाख में से उपलब्ध राशि 10.21 लाख एवं अनटाईड पूंजीगत मद अन्तर्गत उपलब्ध राशि 6.38 लाख कुल 16.59 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को हस्तान्तरित करें।
5. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बांसवाडा, जिला बांसवाडा ।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर